न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 68/2012 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2012/00091

मोहनराम पुत्र मघाराम जाति सुथार निवासी पांचू तहसील नोखा (मृत्तक)।

1/1. लक्ष्मीनारायण	
1/2. सत्यनारायण	
1/3. भगवानाराम	पिसरान मोहनराम पुत्र मघाराम जाति सुथार
1/4. सुरजाराम	निवासी पांचू तहसील नोखा
1/5. धापू देवी	
1/6. हरखू देवी	

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र मघाराम जाति सुथार निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर (मृत्तक)

   1/1. रामेश्वरलाल (मृत्तक) पिसरान तुलछाराम सुथार नि. पांचू तह. नोखा
   - 1/1/i जीया देवी पत्नि रामेश्वरलाल
   - 1/1/ii लीला पुत्री रामेश्वरलाल
   - 1/1/iii नैनू पुत्री रामेश्वरलाल
   - 1/1/iv पींकी पुत्री रामेश्वरलाल

   1/2. कानीराम पुत्र तुलछाराम सुथार निवासी पांचू तहसील नोखा

   1/3. रम्भा पुत्री तुलछाराम सुथार निवासी पांचू तहसील नोखा

   1/4. पुष्पा पुत्री तुलछाराम सुथार निवासी पांचू तहसील नोखा

2. ग्राम पंचायत पांचू जरिये सरपंच महोदय पांचू।

3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।

4. उप पंजीयक महोदय नोखा।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री सीताराम बिश्नोई अभिभाषक अपीलांट्स
श्री ज्ञान सिंह बिश्नोई अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 19.07.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 29.08.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– विवादित भूमि ग्राम पांचू दक्षिण के खेत खसरा नंबर 922 तादादी 55 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 1017 तादादी 30 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 1041 तादादी 11 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 1043 तादादी 9 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 1361 तादादी 10 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 1976 तादादी 13 बीघा, खसरा नंबर 3205 तादादी 13 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 3206 तादादी 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 3567 तांदादी 23 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 3677 तादादी 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 3950 तादादी 30 1 बिस्वा कुल तादादी 212 बीघा 1 बिस्वा खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का इंतकाल संख्या 278 दिनांक 13.01.1962 को अपीलांट स्व. मोहनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। इंतकाल संख्या 278 के विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 1 स्व. तुलछाराम ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष अपील पेश। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.08.2012 को निर्णय पारित कर इंतकाल संख्या 278 दिनांक 13.01.1962 को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि को बहिस्सा बराबर खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री सीताराम बिश्नोई ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि सम्वत् 2012 से अपीलांट के कब्जाकाश्त में चली आ रही है। उक्त विवादित भूमि का इंतकाल संख्या 278 दिनांक 13.01.1962 अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने लगभग 50 वर्षों बाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त विवादित इंतकाल की पूर्व में ही जानकारी थी। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र को 50 वर्ष पुराना प्रकरण होने के बावजूद स्वीकार कर लिया। अधिनस्थ न्यायालय ने 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर

दिया। विवादित भूमि का इंतकाल विरासतन नहीं था। उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि थी, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने बहिस्सा बराबर विभाजन करने का आदेश पारित किया है, जो विधिविरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट योगेन्द्र पुरोहित ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अंकन चला आ रहा हैं, जिसका अंकन जमाबंदी एवं गिरदावरी रिकार्ड में है। अपीलांट ने सरपंच व पटवारी से मिलकर धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की आड़ मे इंतकाल संख्या 278 दिनांक 13.01.1962 द्वारा समस्त भूमि स्वयं के नाम से खातेदारी दर्ज करवा ली। इंतकाल संख्या 278 ग्राम पंचायत के आदेश से दर्ज हुआ जो कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। इंतकाल दर्ज करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्व. तुलछाराम को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का निर्णय दिनांक 29.08.2012 पत्रावली में संलग्न समस्त राजस्व रिकार्ड के अध्ययन किये बिना पारित किया हुआ प्रतीत होता है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अधिनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में दोनो पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर